

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/65/2019

प्रवेश तिथि
22-07-2019

निर्णय दिनांक
08-08-2019

01- परमजीत सिंह पुत्र श्री गुरमुखसिंह जाति ब्राहमण सिक्ख निवासी ग्राम मुबारिकपुर तहसील रामगढ जिला अलवर राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ जिला अलवर

—रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय तहसीलदार रामगढ
दिनांक 09.10.2017 अन्तर्गत धारा 91 भू0
राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 346/2017

उपस्थित:-

01-श्री अमरसिंह यादव

—वकील अपीलान्ट

—निर्णय:-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 09.10.2017 जिसके द्वारा अपीलान्ट को ग्राम मुबारिकपुर की सरकारी बंजड प्रथम भूमि आराजी खसरा नम्बर 818 रकबा 0.84 है0 में से 0.70 है0 पर अवैध कब्जा करने पर की गई सजा व पैनल्टी से व्यथित होकर की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंड को जर्जे सम्मन तलब किया गया। एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम मुबारिकपुर की सरकारी बंजड प्रथम भूमि आराजी खसरा नम्बर 818 रकबा 0.84 है0 में से 0.70 है0 अवैध कब्जा करने की रिपोर्ट दिनांक 07.09.2017 को पटवारी द्वारा करने पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बिना सुने तीन माह का सिविल कारावास व लगान से दण्डित किया। अपीलान्ट को पश्चातवर्ति अतिक्रमी माना है जबकि पूर्व में अपीलान्ट को कभी बेदखल नहीं किया गया ना किसी प्रकार की पैनल्टी से आरोपित किया गया। अतः अपीलार्थी को सिविल कारावास व पैनल्टी से मुक्त किया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्व प्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद पर विचार किया गया अपीलान्ट ने आदेश दिनांक 09.10.2017 के विरुद्ध दिनांक 22.07.2019 को पेश किया। जो करीब 1 साल 9 माह के विलम्ब से पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद में अंकित तथ्यों पर विश्वास कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का भी अवलोकन किया जिसमें अपीलार्थी द्वारा दिनांक 22.07.2019 को कब्जा छोडना बताया गया है तथा रिपोर्ट तहसीलदार रामगढ द्वारा भी अपनी मौका रिपोर्ट दिनांक 02.08.2019 में विवादित आराजी पर वर्तमान में अपीलार्थी का अतिक्रमण नहीं होना बताया है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को सिविल कारावास के दण्ड से मुक्त किया जाता है। तथा दण्ड स्वरूप आरोपित पैनल्टी यथावत रखी जाती है।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राजस्थान)